कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री के0के0 कन्सट्रक्शन एण्ड बिल्डर्स राम नगर कालोनी, मोहद्दीपुर, गोरखपुर।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**020 /2016, 05.09.2016**
प्रार्थी की ओर से	**श्री प्रमोद कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री के0के0 कन्सट्रक्शन एण्ड बिल्डर्स राम नगर कालोनी, मोहद्दीपुर, गोरखपुर द्वारा दिनांक 10.02.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

(i) Whether applicants contractee firm M/s. Aisshpra Life Spaces, 2nd floor, Baldev plaza, Golghar, Gorakhpur is liable to deducted TDS @ 4% on payment and issued form 31 as per Section 34 (1) and 34 (13) of UP VAT 2008 as well as per order dated 19.11.2012 U/s. 59 of Hon'ble Commissioner of Commercial Tax, U.P. in the matter of M/s. Shanker Enterprises, C-12, Sector-12, Aliganj, Lucknow.

(ii) Whether applicant firm M/s. K.K. Construction & Builders, Ramnagar Colony, Mohaddipur, Gorakhpur have to pay tax or composition money on the payment received by contractee firm as contractor whenever contractee firm already adopted composition scheme and paying composite money on same turnover.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री प्रमोद कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गोखपुर जोन गोरखपुर के पत्र संख्या-1837, दिनांक 27.09.2016 द्वारा प्रेषित आख्या में प्रथम प्रश्न के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि स्रोत पर कर की कटौती धारा-34 के उपबन्धों के अन्तर्गत की जाती है । धारा-34 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके आधार पर प्रश्नकर्ता व्यापारी (सिविल संविदाकार) को टी0डी0एस0 की कटौती किये बिना भुगतान किया जा सके ।

धारा-34 के अध्ययन से ही स्पष्ट है कि संविदाकार को किये जाने वाले भुगतान पर संविदी द्वारा टी0डी0एस0 की कटौती किया जाना आवश्यक है ।

द्वितीय प्रश्न के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि शासन के पत्र संख्या-390 / ग्यारह-2-2016-9 (17) / 13, दिनांक 17.03.2016 द्वारा बिल्डर्स के सम्बन्ध में एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने के लिए समाधान योजना लागू की गयी है जिसे कमिश्नर महोदय के पत्र संख्या-वैट-विधि-4 (2) / पत्र सं0-7 भाग-1 / 2015-16 / 2879 / वाणिज्य कर, दिनांक 18.03.2016 द्वारा परिपत्रित किया गया है साथ ही कमिश्नर महोदय के परिपत्र

....2

संख्या-विधि-4 (2) / बिल्डर्स समाधान योजना (72) / 2015-16 / 273 / 1617009 / वाणिज्य कर, दिनांक 11.05.2016 द्वारा बिल्डरों के लिए समाधान योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त योजना में यह कहीं भी प्राविधानित नहीं किया गया है कि बिल्डर द्वारा समाधान योजना स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप, बिल्डर जिन संविदाकारों से कार्य कराते हैं उनकी भी करदेयता समाप्त हो जायेगी अथवा उन्हें देय कर के बदले में शासन के पूर्व पत्र संख्या-क0नि0-2-1278 / ग्यारह-2009-9 (2) / 08, दिनांक 09.06.2009 द्वारा कर के बदले एक मुश्त धनरशि प्राप्त करने के लिए सिविल संविदाकारों हेतु लागू समाधान योजना स्वीकार करने की सुविधा समाप्त हो जायेगी । अत: बिल्डर के समाधान योजना स्वीकार करने से उसके सिविल संविदाकार की करदेयता की स्थिति में कोई परिवर्तन होना प्रतीत नहीं होता है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 (1) व 34 (13) के अन्तर्गत कान्ट्रेक्टी से भुगतान पर 4% की टी0डी0एस0 की कटौती तथा फार्म-31 जारी करने तथा संविदी द्वारा समाधान योजना स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप उप संविदाकारों से कार्य कराये जाने पर संविदी द्वारा प्राप्त भुगतान से स्रोत पर कटौती के सम्बन्ध में जिज्ञासा व्यक्त की गयी है ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्रोत पर कटौती करने या न करने से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) से आच्छादित नहीं है जिसके कारण इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

जहॉ तक प्रार्थी को बिल्डर से प्राप्त भुगतान पर करदेयता निर्धारित किये जाने का प्रश्न है, प्रार्थी का कितना टर्नओवर करयोग्य है तथा किस टर्नओवर पर करदेयता है यह बिन्दु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की नियमावली के नियम-9 के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ही तय किया जा सकता

.....3

है। अत: यह बिन्दु भी धारा-59 की परिधि में नहीं आता है और तदनुसार प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। स्रोत पर कटौती (टी0 डी0 एस0) से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत नहीं आता है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत दिया जाना सम्भव नहीं है।

इसी प्रकार कितने टर्न ओवर पर करदेयता होगी यह बिन्दु भी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की नियमावली के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण स्तर पर ही निर्णीत किया जा सकता है तथा यह बिन्दु भी धारा-59 की परिधि में नहीं आता है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 24 नवम्बर, 2016

ह0 / 24.11.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।